

न्यायालय तहसीलदार तहसील..... जिला..... म प्र

राजस्व आदेश अनुवृत्ति-पत्र

मामला क्रमांक...../अ-6/20.....

1	2	3
	<p>प्रकरण आदेशार्थ नियत था।</p> <p>प्रकरण का संक्षिप्त विवरण भूमि स्वामी के मृत होने के कारण भू-अभिलेखों में उसके विधिक वरिसानो के हित में नामांतरण से है।</p> <p>मृतक हिन्दू/मुस्लिम होने के कारण वारिसान नामांतरण उत्तराधिकार/मुस्लिम विधि के अंतर्गत धारा 164 म०प्र०भू०रा० संहिता के अनुसार नयागमित किया गया।</p> <p>भूमि स्वामी की मृत्यु की पुष्टि संलग्न मृत्यु प्रमाण पत्र/पंचनामा से होती है। इशतहार वाद कोई आपत्ति नहीं की गई। हल्का पटवारी ने मृतक के विधिक वारिसानो का प्रतिवेदन एवं जानकारी प्रस्तुत की।</p> <p>अतः मृतक..... पिता..... जाति..... के स्थान पर ग्राम..... तहसील... जिला... के खसरा क्रमांक... रकबा... भूमि पर विधिक वारिस..... के नाम पर नामांतरण स्वीकृत किया जाता है। शेष खातेदार यथावत दर्ज रहेंगे।</p> <p>पटवारी अभिलेख में दर्ज करें धारा 110 (5) का पालन किया जावे।</p> <p>कार्यवाही उपरांत प्रकरण दाखिल रिकार्ड किया जावे।</p> <p style="text-align: right;">तहसीलदार तहसील..... जिला.....</p>	